न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्या :– 35 / 2009 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (R.C.M.S . no 2009/00031)

नारायण सिंह पुत्र श्री माधों जाति ठाकुर निवासी ग्राम जैत तहसील व जिला मथुरा (उ0प्र0)

.....अपीलान्ट

बनाम

1. देवकरण
2. दशरथ
3. रोहतान

पिसरान लालसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम इकलेहरा तहसील डीग जिला भरतपुर।

4. सीताराम पुत्र श्री लालसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम इकलेहरा तहसील डीग जिला भरतपुर नावालिग जरिये सरपरस्त देवकरण पुत्र लालसिंह

.....असल रैस्पोडेन्टस

5. लालसिंह पुत्र घूडे जाति ठाकुर निवासी इकलेहरा तहसील डीग जिला भरतपुर।
6. धनेशदत्त पटवारी हल्का ग्राम चौमेदा तहसील डीग जिला भरतपुर।

.....तरतीबी रैस्पोडेन्टस

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्डाधिकारी डीग दिनांक 19.1.2009 व मुकदमा अपील संख्या 3 / 2008 उनवानी देवकरन बनाम नारायनसिंह व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 296 ग्राम चौमेदा सरपंच ग्राम पंचायत इकलेहरा दिनांक 7.3.2008

उपस्थितिः–

1. श्री सुगडसिंह वकील अपीलान्ट
2. श्री हनुमान प्रसाद गोयल वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः— 29.5.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्ड अधिकारी डीग जिला भरतपुर के निर्णय दिनांक 19.1.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि सरपंच ग्राम पंचायत इकलहरा तहसील डीग द्वारा बयनामा के आधार पर अपीलान्ट नारायनसिंह के हक में नामान्तरकरण संख्या 296 दिनांक 7.3.2008 को तस्दीक किया गया । इस नामान्तरकरण के विरूद्ध रैस्पो0 देवकरन द्वारा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी डीग के समक्ष अपील पेश की गई। उपखण्डाधिकारी डीग द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.1.2009 पारित करते हुये अपील स्वीकार की गई, तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार डीग को प्रतिप्रेषित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि तहत अदालत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि असल रैस्पो0 का दावा ही खारिज हो चुका है तथा उनके द्वारा अपील पेश की गई अपील में जारी शुदा स्थगन आदेश को सहमति के आधार पर दिनांक 7.2.2008 को राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने स्टे विड्रो किया है उसके बाद ही दाखिल खारिज वहक अपीलान्ट स्वीकार किया गया है। ऐसी सूरत में अपीलान्ट अपनी अभिस्वीकृति से पाबन्द है इस तथ्य पर तहत अदालत ने कतई गौर नहीं किया गया। तहत अदालत ने अपीलाधीन नामान्तरकरण को विवादित मानते हुये उसकी स्वीकृति का क्षेत्राधिकार तहसीलदार में निहित होना माना है जबकि असल रैस्पो0 ने जारी शुदा स्थगन आदेश को हटाने की सहमति दे दी तो उस सूरत में दाखिल खारिज विवादित होना नहीं माना जा सकता है। इसलिये अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को ही है। तहत न्यायालय का यह कहना भी गलत है कि विवादित आराजी की बाबत पूर्व से ही दावा चल रहे है तथा दौराने दावा अपीलान्ट ने आराजी मुतनाजा को खरीद किया है यदि दौराने दावा हस्तान्तरण हो जाता है तो उस सूरत में पंजीकृत बयनामा का महत्व डिक्री व निर्णय जैसी भी पारित हो के मुताबिक होता है इसलिये यह बयनामा अवैध नहीं है चूंकि सक्षम न्यायालय द्वारा असल रैस्पो0 का दावा दिनांक 23.9.2007 को ही खारिज कर दिया है, तथा दाखिल खारिज जैर अपील दिनांक 7.3.2008 को स्वीकार किया गया है जो विधिसंगत है इसलिये तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश काबिले मंसूखी है। इसके अलावा असल रैस्पो0 का मुख्य अधिकार विवादित आराजी का पैतृक होना व कोपार्सनर है उस सूरत में यदि असल रैस्पोडेन्ट अपने इस अभिकथन को साबित भी कर देते है तो भी उनका नोशनल हिस्सा ही आवेगा चूंकि तरतीवी रैस्पो0 लालसिंह के पास अन्य आराजीयात भी काफी है इसलिऐ लालसिंह द्वारा विक्रय की गई आराजी वाहक सायल उसके हिस्से से अधिक नहीं है

ऐसी सूरत में लालसिंह द्वारा किया गया बयनामा वाहक अपीलान्ट अवैध नहीं है इसलिऐ दाखिल खारिज जैर अपील स्वीकार किये जाने में कोई अनियमितता नहीं है। इसलिऐ तहत न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर आदेश जैर अपील पारित किया है जो न्यायसंगत न होने के कारण काबिले मंसूखी है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैरे अपील दिनांक 19.1.2009 न्यायालय उपखण्डाधिकारी डीग निरस्त फरमाया जाकर ग्राम पंचायत का आदेश नामान्तरकरण संख्या 296 दिनांक 7.3.2008 वदस्तूर रखा जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी डीग द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.1.2009 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि रैस्पो0 देवकरण, दशरथ,रोहताश, सीताराम आदि के पिता लालसिंह ने अपीलान्ट नारायनसिंह को आ0ख0नं0 111/00.20, 112/00.20 सालिम व आ0ख0नं0 107/0.78 से 12/39 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र पैतृक आराजी का दिनांक 10.5.2007 को किया था। रैस्पो0 देवकरण, दशरथ, रोहताश व सीताराम की बहिन गीता, इन्द्रा व अंजू ने आराजीयात पैतृक होने एवं लालसिंह को वाहिद तौर पर आराजी विवादित को विक्रय करने का अधिकार न होने बाबत दावा लालसिंह, नारायनसिंह, व रैस्पो0 के विरूद्ध अंतर्गत धारा 88,89 व 188 आरटीएक्ट का दायर किया था । जिसमें 7/8 स्सिा रैस्पो0 देवकरन, रोहताश, दशरथ, व सीताराम, गीता, इन्द्रा, अंजू का बताया था तथा नारायनसिंह जो लालसिंह ने जो बयनामा वाहिद तौर पर आ0ख0नं0 111 व 112 वाहिद का व 107 में से 12/39 हिस्से का किया था वह आराजी पैतृक होने के कारण बयनामा करने का अधिकार न होने के कारण वातिल व वेअसर होने बाबत दायर किया था। जिसमें न्यायालय एसडीओ डीग के स्थगन आदेश दिनांक 29.9.2007 को निरस्त करने के बाद रैस्पो0 ने अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर में की थी जिसमें अपील की कार्यवाही के दौरान नारायनसिंह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा ओ0 1 रू0 10 जा0दी0 के तहत अपील में पक्षकार बना था। आर0ए0ए0 भरतपुर ने जारीशुदा स्थगन आदेश दिनांक 22.10.2007 को निरस्त कर दिया। रैस्पो0 ने नारायनसिंह को अपील में पक्षकार बनाने व स्थगन आदेश निरस्त करने के दोनों आदेशों के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी की। राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने आदेश क्रमशः दिनांक 25.2.2008 व 3.3.2008 द्वारा आर0ए0ए0 भरतपुर के आदेश दिनांक 6.2.2008, व 7.2.2008 को स्थगित रखने हेतु आदेश पारित किया। रैस्पो0 ने राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 25.2.2008 व 3.3.2008 को राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर, उपखण्डाधिकारी डीग व तहसीलदार डीग के यहां प्रस्तुत कर दिये। इसके बाबजूद भी पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश की पालना न कर दिनांक 10.5.2007 के विक्रय पत्र के आधार पर नारायनसिंह के नाम दाखिल खारिज संख्या 296 को बिना रैस्पो0 को सुने दर्ज कर दिया व ग्राम पंचायत से तस्दीक करा दिया। जबकि राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश

दिनांक 3.3.2008 से पटवारी हल्का व गिरदावर को दाखिल खारिज दर्ज करने का अधिकार नहीं था। इस कारण से रैस्पोडेन्ट्स की अपील को एसडीओ डीग ने सही तौर पर स्वीकार कर जांच करने हेतु तहसीलदार डीग को रिमाण्ड किया है। न्यायालय में अपील के विचाराधीन के दौरान ही रैस्पो0 की बहिन ने जो दावा अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0 टी0 एक्ट का दायर किया था उसे उपखण्डाधिकारी डीग ने दिनांक 11.5.2010 को डिक्री कर दिया और श्री लालसिंह द्वारा 7/8 हिस्से तक किये गये बयनामा वातिल व वेअसर घोषित कर दिया व आराजी में रैस्पो0 व उसकी बहिनों को 7/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार माना केवल 1/8 हिस्से का लालसिंह को ही विक्रय करने का अधिकार माना। रैस्पो0 ने एसडीओ डीग के फैसले एवं डिक्री दिनांक 11.5.2010 अपील में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी के अंतर्गत पेश किये। दावा में ही जब लालसिंह को बेचने का अधिकार 7/8 हिस्से तक विवादित आराजी को नहीं माना है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के हक में स्थगन आदेश के बाबजूद दर्ज किया अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वतः ही निरस्त हो जाता है। एसीडीओ डीग ने भी अपने अपीलाधीन आदेश में दोनों पक्षों की सुनवाई का अवसर देने एवं स्थगन आदेशों की जांच कर विधिवत कार्यवाही करने के आदेश देने में कोई त्रुटी नहीं की है । अपीलाधीन आदेश न्यायिक परिपेक्ष्य में है जिसमें किसी प्रकार के किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जावे तथा तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.1.2009 यथावत रखा जावे।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन उपरान्त इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि विवादित आराजी पैतृक आराजी है। इसके अलावा इसको लेकर हक हकूकी हेतु सक्षम राजस्व अदालतों में नियमित वाद भी विचाराधीन रहे है। अपीलधीन नामान्तरकरण संख्या 296 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 7.3.2008 को स्वीकार किया गया है जबकि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3.3.2008 आस्तित्व में था जिसके तहत माननीय मण्डल द्वारा आर0ए0ए0 भरतपुर के आदेश दिनांक 7.2.2008 की पालना को स्थगित किया गया था जिसमें कि राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर ने उपखण्डाधिकारी डीग के स्थगन आदेश को हटाया था इससे पूर्व न्यायालय उपखण्डाधिकारी डीग द्वारा जारी स्थगन आदेश चला आ रहा था। अर्थात राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा आर0ए0ए0 भरतपुर के निर्णय की पालना स्थगित करते ही उपखण्डाधिकारी भरतपुर का पूर्व स्थगन स्वतः ही आस्तित्व आ जाता है। लिहाजा इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि दौराने ग्राम पंचायत नामान्तरकरण स्वीकृति विभिन्न अपीलीय राजस्व न्यायालयों में नियमित वाद विचाराधीन /स्थगन आदेश प्रभावी थे। इस तरह के जटिल प्रकरणों के संदर्भ में बिना सभी हितधारी पक्षकारों को सुने ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय लिया जाना संभव नहीं है इसी न्यायिक मंशा के मध्यनजर तहत अदालत उपखण्डाधिकारी डीग द्वारा यह प्रकरण तहसीलदार डीग को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि वह संबधित सभी हितधारी पक्षकारान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये प्रकरण की विधिसम्मत जांच करें साथ ही विभिन्न राजस्व न्यायालयों द्वारा जारी प्रभावी आदेशों के परिपेक्ष्य में पुनः गुणावगुण के आधार पर जांच करते हुये अपीलाधीन नामान्तरकरण पर पुनः विधिसंगत आदेश पारित करें। जिसमें हम किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटी नहीं पाते है । चूंकि प्रकरण में सभी हितधारी पक्षकारान की सुनवाई का अभाव पाया गया है लिहाजा तहत अदालत ने प्रकरण को परीक्षण न्यायालय के लिये उभयपक्षकारान की सुनवाई कर अपीलीय न्यायालयों के निर्णयों के परिपेक्ष्य में गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया है जो न्यायायिक रहता है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि न पाये जाने के कारण यह अपील खारिज की जाती है तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.1.2009 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official